न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
141 / 2024	02.12.2024	01.04.2025

अनवान

1. अम्बालाल पिता हमेरा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. पिन्टूलाल पुत्र उदयराम कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. लीला पत्नी पिन्टूलाल कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन पिता हजारी कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. रोशन पिता रामा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. घीसु पिता बालु कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. इन्द्राबाई पुत्री हमेरा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. कैलाश पुत्र नन्दा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. काली बाई पुत्री हमेरा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. घीसु पुत्र बालु कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. जगदीश पुत्र नन्दा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. देउबाई पुत्री हमेरा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. बाबरी पुत्री नन्दा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. भैरू लाल पुत्र नाराण कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. भवानीशंकर पुत्र भंवर कीर कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. माधु पुत्र नाराण कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. रकमा बाई पुत्री रूपा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. रतु बाई पुत्री रूपा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. राजमल पुत्र नन्दा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन • जिला-चित्तौडगढ •

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

त्तौडगढ।
ाधी पत्नी नन्दा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
विरम पुत्र हमेरा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. श्यामलाल पुत्र भंवर कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
20. हरिश चन्द्र पुत्र नन्दा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
22. हरचन्द पुत्र नन्दा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
23. गंगाबाई पुत्री रूपा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
24. परसराम पुत्र शंकरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी हीराजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
25. भुरी बाई पुत्री रूपा कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
26. मदन पुत्र शंकर लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी हीराजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
27. राम लाल पुत्र लखमा कीर आयु वयस्क निवासी जोरावरपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
28. सुशीला देवी पत्नी रतनलाल कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बापना — प्रार्थीगण
एकतरफा — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियमः:—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कीरखेडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 88 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 101, 103, 105 कुल किता 03 कुल रकबा 0.03 हैक्ट0, खाता संख्या 10 के आराजी संख्या 106 कुल किता 01 कुल रकबा 0.10 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 09 के आराजी संख्या 107, 108, 109, 110, 179, 180, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 355 कुल किता 15 कुल रकबा 3.65 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 20 एवं 22

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौडगढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौडगढ

लगायत 26 तथा 28 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 27 के विरूद्ध वकील प्रार्थीगण द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नही चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा कीरखेडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 88 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 101, 103, 105 कुल किता 03 कुल रकबा 0.03 हैक्ट0, खाता संख्या 10 के आराजी संख्या 106 कुल किता 01 कुल रकबा 0.10 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 09 के आराजी संख्या 107, 108, 109, 110, 179, 180, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 355 कुल किता 15 कुल रकबा 3.65 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 उमण्ड को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
(उपखण्ड अधिकारी
कपासन, जिला चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौडगढ